130

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1608—पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18—3—2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 446/अपील/2014—15.

1— सुमित्राबाई पिता स्व. हजारीलाल यादव
पति नत्थूलाल
निवासी ग्राम शिवनीखेड़ा
तहसील व जिला इंदौर

2— कुसुम बाई पिता स्व. हजारीलाल यादव
पति मोतीलाल निवासी ग्राम शिवनीखेड़ा
तहसील व जिला इंदौर
हाल मुकाम 108, अजय बाग
मुसाखेड़ी, इंदौर

..............आवेदकगण

विरूद्ध

जयसिंह पिता स्व. हजारीलाल यादव
निवासी ग्राम शिवनीखेड़ा
तहसील व जिला इंदौर
हाल मुकाम 244/6,
बाबूलाल नगर, इंदौर

..............अनावेदक

श्री जगदीश चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—3—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील इंदौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिवनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 420, 421, 425 व 426 कुल रकबा 1.659 हेक्टेयर उनके पिता के नाम से,

राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उनके पिता की मृत्यु 36 वर्ष पूर्व हो चुकी है, और माता की मृत्यु भी 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है । उभय पक्ष स्व. भूमिस्वामी हजारीलाल की पुत्रियां एवं पुत्र होकर विधिक वारिसान हैं, परन्तु उनके भाई अनावेदक जयसिंह द्वारा आवेदकगण को बिना बताये प्रश्नाधीन भूमि पर अकेले अपना नामांतरण करा लिया गया है । इस प्रकार नामांतरण में आवेदकगण का नाम छूट गया है, अतः जोड़ा जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–6–2014 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–12–2014 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि आवेदकगण द्वारा वर्ष 1978–79 एवं 1992 के में हुए नामांतरण के सम्बन्ध में न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई, और न ही उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जबकि वास्तव में वर्ष 1992 में कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है ।

(2) अनावेदक मृतक भूमिस्वामी सुन्दरबाई की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका है, जबकि सुन्दरबाई की मृत्यु के पश्चात अनावेदक द्वारा बाला–बाला नामान्तरण पंजी कमांक 37 पर दिनांक 21–5–2008 को फौती नामान्तरण करा लिया गया है ।

(3) अपर तहसीलदार द्वारा फौती नामान्तरण आदेश दिनांक 21–5–2008 को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में दिनांक 18–3–2016 में विधि की गलत समीक्षा की गई है, क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के आरम्भ होने पर तथा मिताक्षरा विधि द्वारा नियंत्रित होने वाले संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब में किसी सहदायिक पुत्री को जन्म से

ही अधिकार प्राप्त होते हैं तथा सहदायिक की सम्पत्ति की बावत् वह उन्हीं दायित्वों के अधीन होगी, जो पुत्री की होते हैं । अर्थात पुत्र के साथ–साथ पुत्री को भी प्रश्नाधीन भूमि में समान अधिकार प्राप्त होंगे । चूंकि सुन्दरबाई बेवा का नाम दिनांक 21–5–2008 को कम किया गया है, इसलिए उस दिनांक को प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का भी स्वत्व था, और नामान्तरण में उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए था । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण को वर्ष 1975 में हुए नामान्तरण की जानकारी होने के पश्चात लगभग 40 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें हस्तक्षेप कर आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गम्भीर वैधानिक त्रुटि की गई है, क्योंकि राजस्व न्यायालयों को स्वत्व के निराकरण का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(2) एक बार नामान्तरण हो जाने के पश्चात और उसकी अपील नहीं करने पर पुनः नामान्तरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 109, 110, 115 एवं 116 के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(4) द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन का पूर्ण विवेचना कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

तर्कों के समर्थन मं 1987 आर.एन. 119 व 278, 2014 आर.एन. 98, 1966 आर.एन. 42 9 एवं 1983 आर.एन. 48 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा केवल इस आधार पर अपील स्वीकार की गई है कि पूर्व में किया गया नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के पूर्व का है, परन्तु उनके द्वारा यह नहीं देखा गया है कि जब नामान्तरण हुआ

था, उस समय सभी वारिसानों को सुनवाई का समुचित अवसर मिला था अथवा नहीं । अतः स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यद्यपि आवेदकगण का हक प्रश्नाधीन भूमि पर माना है लेकिन उनके द्वारा भी पूर्ण तथ्यों की जांच नहीं करते हुए तहसील न्यायालय को देखने के निर्देश दिये गये हैं, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सुन्दरबाई के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिसंगत आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर